(☏ 022-22862703)
ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in
फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

सं./No. 7/8/2015/आईआरएंडडब्ल्यू/IR&W/ 16692 दिसंबर/December 16, 2016

कार्यालय ज्ञापन/OFFICE MEMORANDUM

विषय : अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के अलावा सेवानिवृत्ति पर देय सीएचएसएस अंशदान की दर का संशोधन

Subject : Revision of rate of CHSS contribution payable on retirement other than on retirement on superannuation

---

सीएचएसएस नियम सं. 2.1.10(iii) के अनुसार जो कर्मचारी स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वे विभाग में अपनी अर्हक सेवा के अनुसार बढ़े हुए अंशदान के निम्नानुसार भुगतान पर योजना के तहत रजिस्ट्रेशन जारी करने के लिए पात्र हैं :

As per CHSS Rule No. 2.1.10(iii), employees who are retiring voluntarily are eligible for continuing registration under the scheme on payment of enhanced contribution as per their qualifying service in the Department as indicated below :

अर्हक सेवा/Qualifying Service	अंशदान का दर/Rate of contribution
30 वर्ष एवं उससे अधिक 30 years & above	अंशदान की सामान्य दर Normal rate of contribution
25 वर्ष एवं उससे अधिक लेकिन 30 वर्ष से कम 25 years and above but less than 30 years	अंशदान की सामान्य दर का दोगुना Double the normal rate of contribution
20 वर्ष एवं उससे अधिक 25 वर्ष से कम 20 years and above but less than 25 years	अंशदान की सामान्य दर का तिगुना Three times the normal rate of contribution

2. जिन कर्मचारीयोंकी विभाग में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण है, ऐसे कर्मचारी अगर दंड के रूप में सेवा से अनिवार्यत: सेवानिवृत्त किए जाते है या चिकित्सा आधार पर अशक्तता पर सेवानिवृत्त होते है, उनको भी अंशदान की सामान्य दर के भुगतान पर सीएचएस स्कीममें शामिल करने की अनुमति है।

Employees retired compulsorily from service as a measure of penalty and employees retired on invalidation on medical grounds, who have put in a minimum of 5 years' service in the Department were also been allowed to join the CHS Scheme on payment of normal rate of contribution.

2...

16/12/16

3. सीएचएसएस अंशदान हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा देय दरों के संशोधन के बारे में मामला विभाग की सीएचएसएस पुनरीक्षा समिति के विचाराधीन था। समिति की सिफारिशों के आधार पर, मामले की जांच की गई और तदनुसार विभाग में यह निर्णय लिया गया है कि उक्त पैरा-1 में उल्लिखित के अनुसार स्वैच्छिक रूप से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों द्वारा देय सीएचएसएस अंशदान की दर हेतु यथापूर्व स्थिति रखी जाए और दंड के रूप में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर्मचारी और चिकित्सा आधार पर अशक्तता होने पर सेवानिवृत्त कर्मचारी, द्वारा देय सीएचएसएस अंशदान की दरों को तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :

The issue regarding revision of rates payable by the retired employees towards CHSS Contribution were under the consideration of the CHSS Review Committee of the Department. On the basis of the recommendations of the Committee, the matter has been examined and accordingly it has been decided in the Department to maintain status-quo towards the rate of CHSS Contribution payable by employees retiring voluntarily as indicated at Para-1 above and also to revise the rates of CHSS contribution payable by the employees retired compulsorily from service as a measure of penalty and employees retired on invalidation on medical grounds as indicated below with immediate effect :

सेवा निवृत्त का प्रकार Type of Retirement	देय अंशदान की दर/Rate of contribution payable
अनिवार्य सेवानिवृत्त Compulsory Retirement	• 30 वर्ष एवं उससे अधिक अर्हक सेवा Qualifying Service of 30 years and above - अंशदान की सामान्य दर Normal rate of contribution • 25 वर्ष एवं उससे अधिक लेकिन 30 वर्ष से कम अर्हक सेवा Qualifying Service of 25 years and above but less than 30 years - अंशदान की सामान्य दर का दोगुना Double the normal rate of contribution • 20 वर्ष एवं उससे अधिक लेकिन 25 वर्ष से कम अर्हक सेवा- Qualifying Service of 20 years and above but less than 25 years - अंशदान की सामान्य दर का तिगुना Three times the normal rate of contribution • 10 वर्ष एवं उससे अधिक लेकिन 20 वर्ष से कम अर्हक सेवा- Qualifying Service of 10 years and above but less than 20 years - अंशदान की सामान्य दर का चौगुना Four times the normal rate of contribution
चिकित्सा अशक्तता Medical Invalidation	सेवा की अवधि को ध्यान में लाए बिना अंशदान की सामान्य दर Normal rate of contribution irrespective of length of service.

4. यह विभाग के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।

This issues with the approval of Competent Authority in the Department.

(एन. जी. कृष्णन/N. G. Krishnan)

उप सचिव (आईआरएंडडब्ल्यू)/ Deputy Secretary (IR&W)

सीएचएसएस के सभी प्रशासकीय प्राधिकारी/All CHSS Administering Authorities :

(1) निदेशक, भापअकें, मुंबई / Director, BARC, Mumbai

(2) निदेशक, आईजीकार, कल्पाक्कम / Director, IGCAR, Kalpakkam

(3) निदेशक, जीएसओ, कल्पाक्कम / Director, GSO, Kalpakkam

(4) मुख्य कार्यकारी, भापाबो, मुंबई / Chief Executive, HWB, Mumbai

(5) मुख्य कार्यकारी, एनएफसी, हैदराबाद / Chief Executive, NFC, Hyderabad

(6) स्थल निदेशक, आरएपीएस, कोटा / Station Director, RAPS, Kota

(7) स्थल निदेशक, टीएपीएस, तारापुर / Station Director, TAPS, Tarapur

(8) निदेशक, एएमडी / Director, AMD

(9) निदेशक, आरआरकेट / Director, RRCAT

(10) निदेशक, वीईसीसी / Director, VECC

(11) निदेशक (एचआर), एनपीसीआईएल / Director (HR), NPCIL

(12) प्रधान, चिकित्सा प्रभाग, भापअकें / Head, Medical Division, BARC

(13) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पऊवि अस्पताल कल्पाक्कम/Chief Medical Officer, DAE Hospital Kalpakkam

प्रति प्रेषित/Copy to :

(1) इकाईयों के सभी प्रशासनिक प्रधान / All Administrative Heads of Units

(2) अध्यक्ष कार्यालय, एईसी एवं सचिव, पऊवि / O/o Chairman, AEC & Secretary, DAE

(3) संयुक्त सचिव (एएवंए) के प्रधान निजी सचिव, पऊवि / PPS to Joint Secretary (A&A), DAE

(4) निदेशक, आईएमएससी / Director, I.M.Sc.

(5) अवर सचिव (प्रशासन), पऊवि / US(Adm), DAE

(6) सचिव, स्टाफ साइड, डीसी / Secretary, Staff Side, DC

(7) महासचिव, एनएफएईई / General Secretary, NFAEE